

केन्द्रीय सूचना आयोग
वावा गंगनाथ मार्ग, मुनिरका
नई दिल्ली - 110067.

दिनांक: 12.07.2018

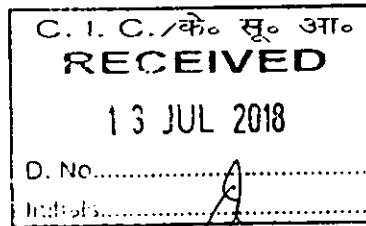
प्रथम अपील सं. CIC/AA/A/2018/173
संदर्भ संचिका सं. CICOM/A/2018/00159
CICOM/R/2018/00552

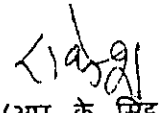
अपीलकर्ता : श्री नरेन्द्र मोहन मेहता,
सी-12/17, यमुना विहार,
दिल्ली - 110053.

निर्णय की तारीख: 12.07.2018

आर.टी.आई. आवेदन की तिथि	गैरदिनांकित
आर.टी.आई. के तहत सूचना प्रदान करने की तिथि	04.06.2018
प्रतिउत्तर देने वाले जन सूचना अधिकारी	श्री ए. के. शर्मा
प्रथम अपील दाखिल करने की तिथि	12.06.2018
प्रथम अपीलीय अधिकारी के कार्यालय का डायरी सं. व तिथि	280/18.06.2018 (138003/15.06.2018)

- अपीलकर्ता द्वारा आयोग को प्रेषित अपने गैरदिनांकित आर.टी.आई. आवेदन के माध्यम से सूचना अधिकार अधिनियम के तहत खुद के द्वारा दाखिल किए गए पत्रों की प्रमाणित/सत्य प्रतिलिपि मांगने से संबंधित दो बिंदुओं पर सूचनाएं मांगी गई थी, जिसके प्रतिउत्तर में श्री ए. के. शर्मा, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी द्वारा प्रदान की गई सूचना के विरुद्ध अपीलकर्ता द्वारा प्रथम अपील दाखिल की गई है।
- संबंधित संचिका (प्रथम अपील आवेदन एवं आर.टी.आई. आवेदन) का अवलोकन करने पर पाया गया कि अपीलकर्ता के उक्त संदर्भित आर.टी.आई. आवेदन के संदर्भ में श्री ए. के. शर्मा, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी द्वारा दिनांक 04.06.2018 को पत्र सं. CICOM/R/2018/00552 के माध्यम से प्रदान की गई सूचना बिल्कुल तथ्यानुसार है तथा इसमें प्रथम अपीलीय अधिकारी के हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है। इस संदर्भ में यह भी उल्लेख किया जाता है कि सूचना अधिकार अधिनियम के तहत खुद के द्वारा दाखिल किए गए पत्रों की प्रमाणित/सत्य प्रतिलिपि मांगने से संबंधित मद्रास उच्च न्यायालय का आदेश सं. W.P.No.26781 of 2013 जो कि इंटरनेट में आसानी से उपलब्ध है, के पैरा सं. 24 का अवलोकन करें, जिसमें उल्लेख किया गया है कि - *we fail to understand as to how the second respondent is entitled to justify his claim for seeking the copies of his own complaints and appeals. It is needless to say that they are not the information available within the knowledge of the petitioner; on the other hand, admittedly, they are the documents of the second respondent himself, and therefore, if he does not have copies of the same, he has to blame himself and he cannot seek those details as a matter of right.*
- तदुसार अपील निस्तारित की जाती है।
- प्रस्तुत संदर्भ में अपीलकर्ता यदि इस आदेश/निर्णय से संतुष्ट न हों तो अधिनियम की धारा 19(3) के अंतर्गत द्वितीय अपील इस आदेश की प्राप्ति के 90 दिनों के अंदर केन्द्रीय सूचना आयोग, वावा गंग नाथ मार्ग, मुनिरका, नई दिल्ली - 110067 में की जा सकती है।

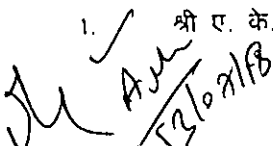



(आर. के. सिंह)

अपर सचिव एवं
प्रथम अपीलीय अधिकारी
दूरभाष - 011-26162290

प्रतिलिपि :

- श्री ए. के. शर्मा, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी, आर.टी.आई. प्रकोष्ठ, केन्द्रीय सूचना आयोग, नई दिल्ली।


12/07/18